Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 40-2017/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 3, 2017 (PHALGUNA 12, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 03 मार्च, 2017

संख्या 2/23/2016–1 पेंशन.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

1. (1) ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (पुनरीक्षित पेंशन) भाग–I नियम 2017, कहे जा सकते हैं।

(2) जब तक सरकार द्वारा किसी वर्ग या प्रवर्ग के पेंशनरों के लिये अन्यथा उपबंधित न किया जाए ये नियम जनवरी, 2016, के प्रथम दिन से लागू हुए समझे जायेंगे।

इन नियमों का लागूकरण।

2. ये नियम सभी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू होंगे, जो प्रथम जनवरी, 2016 से पूर्व अपनी पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे थे अथवा हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के प्रावधानों के अधीन प्रथम जनवरी, 2016 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र/हकदार थे तथा पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को लागू है तथा जिनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन हरियाणा राज्य की समेकित निधि से विकलनीय हैं।

इन नियमों का अलागूकरण।

3. ये नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे–

(i) ऐसे व्यक्तियों के किसी प्रवर्ग को जिनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन इत्यादि हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 द्वारा शासित नहीं हैं;

(ii) न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी।

परिभाषाएं।

4. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "विद्यमान पेंशनर'' या ''विद्यमान पारिवारिक पेंशनर" से अभिप्राय है, वे पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर जो प्रथम जनवरी, 2016 से पूर्व पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे थे अथवा वे सरकारी कर्मचारी जो सेवा–निवृत्ति/मृत्यु के फलस्वरूप प्रथम जनवरी, 2016 को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के लिये हकदार हुए हैं;

(ख) "विद्यमान पेंशन" से अभिप्राय है, 31 दिसंबर, 2015 को मूल पेंशन (संराशिकरण भाग, यदि कोई हो, को मिलाकर):

परन्तु 31 दिसंबर, 2015 को सेवानिवृत्त होने वाले तथा प्रथम जनवरी, 2016 से पेंशन लेने के हकदार होने वाले व्यक्ति के संबंध में, उक्त कर्मचारी की पेंशन पहले हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 में निहित प्रावधानों अनुसार नियत की जाएगी और उसके उपरांत इन नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पुनरीक्षित की जाएगी;

(ग) "विद्यमान पारिवारिक पेंशन" से अभिप्राय है, हरियाणा सिविल सेवा (पुनरीक्षित पेंशन) भाग–I अथवा भाग–II, नियम 2009, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन 31 दिसम्बर, 2015 को प्राप्त की जा रही मूल पारिवारिक पेंशनः

परन्तु पारिवारिक पेंशनरों, जो प्रथम जनवरी, 2016 से पारिवारिक पेंशन लेने के हकदार हो गए हैं, उनकी पारिवारिक पेंशन इन नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार पुनरीक्षित की जाएगी;

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, इन नियमों द्वारा या के अधीन यथा अन्यथा से उपबंधित के सिवाए, वित्त विभाग में हरियाणा सरकार।

समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन।

5. (1) वर्तमान पेंशनर हेतु, जो प्रथम जनवरी, 2016 से पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं, प्रथम जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन, विद्यमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन को 2.57 से गुणा करते हुए निर्धारित की जाएगी। इस प्रकार प्राप्त पुनरीक्षित पेशन/पारिवारिक पेंशन की राशि को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।

उदाहरण 1

पेंशनर 'x' वेतनमान रुपये 67000–79,000 की प्रणाली में छहवें केंद्रीय वेतनमान आयोग के अधीन 31 मार्च, 2015 को 79,000/– रुपये अंतिम वेतन प्राप्त करते हुए सेवानिवृत्त हुआः–

		राशि रुपये में
1.	छहवें केंद्रीय वेतन आयोग के अधीन नियत मूल पेंशन	39,500
2.	सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अधीन नियत पुनरीक्षित पेंशन (2.57 से गुणा करते हुए) (39,500 X 2.57 = 1,01,515)	1,01,515

उदाहरण 2

पेंशनर 'y' वेतनमान रुपये 3000–100–3500–125–4500 की प्रणाली में चतुर्थ केंद्रीय वेतनमान आयोग के अधीन 31 मार्च, 1989 को 4000/– रुपये अंतिम वेतन प्राप्त करते हुए सेवानिवृत्त हुआः–

		राशि रुपये में
1.	चतुर्थ केंद्रीय वेतन आयोग के अधीन नियत मूल पेंशन	1,940
2.	छहवें केंद्रीय वेतन आयोग में यथा पुनरीक्षित पेंशन	12,600
3.	सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अधीन नियत पुनरीक्षित पेंशन (2.57 से गुणा करते हुए) (12,600X2.57 = 32,382);	32,382

(2) इस प्रयोजन हेतु, विद्यमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन, 80 वर्ष और उससे अधिक की आयु के वृद्ध पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को उपलब्ध अतिरिक्त पेंशन के अंश के बिना केवल मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन होगी। वृद्ध पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को भुगतानयोग्य अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन इन नियमों के नियम 8 के अनुसार विकलित की जाएगी।

(3) प्रथम जनवरी, 2016 से न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रतिमास 9,000/– रुपये होगी (वृद्ध पेंशनरों को प्रदत्त अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन को छोड़कर)। हरियाणा सरकार में अधिकतम पेंशन उच्चतम वेतनमान अर्थात् 2,24,100/– रुपये का 50 प्रतिशत होगी अर्थात् 1,12,050/– रुपये और पारिवारिक पेंशन 30 प्रतिशत होगी अर्थात् 67,230/–रुपये ।

पेंशन/पारिवारिक पेंशन का यथानुपात।

6. इन नियमों के अधीन पुनरीक्षित पेंशन की हकदारी, इन नियमों के नियम 5 के निबन्धनों के अनुसार विकलित की जाएगी और आगे सभी मामलों में जहॉ पेंशनर की सेवा पूर्ण पेंशन के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा से कम है, तो हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 में यथाविहित यथानुपात में कम की जाएगी और किसी भी दशा में पेंशन प्रतिमास 9,000/– रुपये से कम नहीं होगी। आवश्यक न्यूनतम सेवा, कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय लागू नियमों के उपबन्धों के अधीन सुविचारित की जाएगी

पेंशन से संराशित पेंशन के भाग की कटौती।

7. जैसा कि समेकित पेंशन की हकदारी, पेंशन के संराशित भाग को मिलाकर होगी, संराशित भाग, जहां लागू हो, की मासिक वितरण करते समय पेंशन से कटौती की जाएगी।

8. (1) वृद्ध पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को उपलब्ध अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन की मात्रा नीचे दी गई तालिका में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार संगणित की जाएगीः— अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन।

तालिका

क्रम संख्या	पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की आयु	पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा
1	2	3
1	80 वर्ष किन्तु 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत।
2	85 वर्ष किन्तु 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत।
3	90 वर्ष किन्तु 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत।
4	95 वर्ष किन्तु 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत।
5	100 वर्ष या अधिक	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत।

(2) पेंशन वितरण प्राधिकारी यह सुनिशचित करेंगे कि पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की जन्म तिथि तथा आयु पेन–1 [प्रधान महालेखाकार (लेखा तथा हकदारी) द्वारा जारी] तथा पेंशन भुगतान आदेश में स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है तथा पेंशन वितरण प्राधिकारी अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन, ज्योंही देय होती है, के भुगतान को सुकर बनाने के लिये पेंशन भुगतान आदेश करेगा। यदि वाँछित सूचना पेन–1 [प्रधान महालेखाकार (लेखा तथा हकदारी) द्वारा जारी] में उपलब्ध नहीं है, तो उन मामलों में अतिरिक्त पेंशन को विद्यमान पेंशन/परिवारिक पेंशन में जोड़ने से पूर्व प्रधान महालेखाकार (लेखा तथा हकदारी) से अपेक्षित सूचना प्राप्त की जाएगी। अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि को पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश में स्पष्ट रूप से दिखाया जाए।

उदाहरणः—

यदि जहां पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर 80 वर्ष से अधिक आयु का है तथा उसकी समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन उपरोक्त नियम 5 के निबन्धनों के अनुसार 10,000/— रुपये प्रतिमास है, तो पेंशन/पारिवारिक पेंशन (i) मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन=10,000/— रुपये तथा (ii) अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन=2,000/— रूपये प्रतिमास के रूप में दर्शाई जायेगी। 85 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन इस प्रकार दर्शाई जाएगी (i) मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन=10,000/— रुपये तथा (ii) अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन=3,000/— रुपये प्रतिमास।

(3) 80 वर्ष तथा अधिक की आयु पूरी करने पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त राशि मास के प्रथम दिन जिसमें उसकी जन्म की तिथि पड़ती है, से अनुज्ञेय होगी।

उदाहरणः—

यदि पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जुलाई, 2016 के मास में किसी तिथि को 80 वर्ष की आयु पूरी करने पर प्रथम जुलाई, 2016, से अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन के हकदार होंगे। जिन पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि पाँच जुलाई, 2016 है, वे भी 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रथम जुलाई, 2016 से अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन के हकदार होंगे।

(4) वृद्ध पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा पर महंगाई राहत भी समय–समय पर जारी किये गये आदेशों अनुसार अनुज्ञेय होगी।

9. उपरोक्त नियम 5 के उपबन्धों के अनुसार संगणित की गई समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन को प्रथम जनवरी, 2016 से ''मूल पेंशन''अथवा ''मूल पारिवारिक पेंशन'' जैसी भी स्थिति हो, समझी जायेगी। प्रथम जनवरी, 2016 से स्वीकृत महंगाई राहत सहित प्राप्त की गई पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन, उसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर स्वीकृत महंगाई राहत प्रदान करने के लिए अर्हक होगी। महंगाई राहत की हकदारी।

10. (1) हरियाणा सरकार के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन का वितरण करने वाले सभी पेंशन वितरण प्राधिकारियों को, इसके द्वारा, प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी), हरियाणा/कार्यालय अध्यक्ष इत्यादि से किसी प्राधिकार के बिना उपरोक्त नियमों के उपबन्धों के अनुसार समेकित दरों पर विद्यमान पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान करने के लिये प्राधिकृत करती है। तथापि, पेंशन के वितरण से पूर्व, पेंशन वितरण प्राधिकारी प्रमाणित करेगा कि नियतन इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सही रूप से किया गया है। पेंशन वितरण प्राधिकारियों का प्राधिकार।

(2) जहाँ एक पेंशनर एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो समेकन इन नियमों के निबन्धनों के अनुसार अलग–अलग से किया जा सकता है।

(3) जहाँ भी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की आयु पेंशन भुगतान आदेश पर उपलब्ध है, तो पेंशन संवितरण अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान उपरोक्त नियम 8 के निबन्धों के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), हरियाणा/कार्यालय अध्यक्ष के प्राधिकार के बिना तुरन्त किया जा सकता है।

(4) पुनरीक्षित समेकित पेंशन के संबंध में उपयुक्त इन्द्राज, पेंशन भुगतान आदेश के दोनों हिस्सों में पेंशन संवितरण अधिकारियों द्वारा दर्ज किया जाएगा ।

(5) पेंशन संवितरण अधिकारियों द्वारा पुनरीक्षित पेंशन के वितरण के संबंध में सूचना प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी), हरियाणा और संबंधित खजाना अधिकारियों/सहायक खजाना अधिकारियों को भेजी जाएगी।

पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान।

11. यह वांछनीय है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, इन नियमों का लाभ यथासंभव शीघ्रता से पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों तक पंहुच जाना चाहिए। यह वांछित है कि सभी पेंशन संवितरण अधिकारी भुगतानयोग्य पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के बकाया को संगणित करेंगे और इन नियमों के जारी होने की तिथि से अधिमान्यतः तीन मास के भीतर पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को आवश्यक भुगतान करेंगे अथवा उनके बैंक खातों में जमा करवायेंगे।

पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अधिक भुगतान की वसूली के लिए वचनबद्धता।

12. (1) यह असम्भाव्य नहीं है कि कुछ मामलों में देय बकाया का अधिक भुगतान गलती से संगणित किया जा सकता है जो बाद में वसूल किया जाना है। इसलिये पेंशन वितरण प्राधिकारियों को पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों से बकाया निकालतें समय यह स्पष्ट कर लेना चाहिये कि यदि कोई भिन्नता बाद में ध्यान में आती है, तो किये जा रहे भुगतान उन राशियों से समायोजन के अध्यधीन हैं जो उनको देय होगी। इस प्रयोजन के लिये, पेंशन/पारिवारिक पेंशन के बकायों की निकासी के समय पर प्रत्येक पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर से लिखित में इस आशय का एक वचन भी प्राप्त किया जाना चाहिये कि अधिक भुगतान जो पेंशन/पारिवारिक पेंशन के गलत समेकन/बकायों की संगणना करने के परिणामस्वरूप किया गया पाया जा सकता है, तो उक्त राशि उस द्वारा सरकार को या तो भविष्य में भुगतान के समायोजन द्वारा या अन्यथा से वापिस किया जायेगा। वचन का नमूना प्रारूप भी संलग्न है जो अनुबन्ध–I पर है।

(2) पेंशन/पारिवारिक पेंशन का नियतन तथा बकायों का समायोजन भी कतिपय मामलों में परिशोधन तथा समायोजन के अध्यधीन होगा जहां विशेष पेंशन या अनन्तिम पेंशन विधि न्यायालय के कुछ अन्तरिम आदेशों की सामर्थ्य में किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को प्रदान की गई है, मामले के अंतिम रूप से निर्णीत होने के बाद, विधि न्यायालय की टिप्पणी/निर्देश को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा उचित निर्णय लिया जा सकता है। इसलिये पेंशन वितरण प्राधिकारी पेंशन/पारिवारिक पेंशन बकायों का वितरण करते समय सभी ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को यह भी स्पष्ट करेंगे कि भुगतान विधि न्यायालय के ऐसे अन्तिम निर्णय पर सरकार द्वारा लिये गये उचित निर्णय के अध्यधीन किये जा रहे हैं। वचन का नमूना प्रारूप भी संलग्न है जो अनुबन्ध–II पर है।

अध्यारोही प्रभाव।

13. इन नियमों में यथा उपबन्धित के सिवाय, हरियाणा सिविल सेवा नियम या पंजाब वित्त नियम या इस संबंध में बनाए गये किन्हीं अन्य नियमों या जारी किये गये अनुदेशों के उपबन्ध इन नियमों या इन नियमों की निरन्तरता में जारी किये गये किन्हीं अन्य पश्चातवृती अनुदेशों में उपबन्धित से अन्यथा, के सिवाय ऐसे मामलों को जहां पेंशन/पारिवारिक पेंशन को इन नियमों के अधीन विनियमित किया जाता है, उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक वे इन नियमों से असंगत हैं।

निर्वचन।

14. यदि इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो यह निर्णय के लिये सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा।

अवशिष्ट उपबन्ध।

15. किसी सामान्य या विशेष परिस्थितियों की दशा में, जो इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आते हैं या जिनके बारे में निश्चित असंगति ध्यान में आई हो, तो मामला सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा और सरकार ऐसी परिस्थितियों के अधीन अनुसरण की जाने वाली शर्तें विहित करेगी। इन नियमों के अधीन सरकार द्वारा यथा विहित ऐसी शर्तें इन नियमों का भाग समझी जायेंगी। आगे, यदि सरकार की संतुष्टि हो जाती है कि कतिपय अतिरिक्त शर्तों को विहित करने की आवश्यकता है, तो सरकार ऐसी शर्तें विहित कर सकती है और सरकार द्वारा यथा विहित ऐसी अतिरिक्त शर्तें इन नियमों का भाग समझी जायेंगी।

ढील देने की शक्ति।

16. जहां सरकार की संतुष्टि हो जाती है कि इन नियमों के सभी या किन्हीं उपबंधो के संचालन में किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई उत्पन्न होती है, तो वह आदेश द्वारा ऐसी सीमा तक न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण मामले में संव्यवहार करने के लिए, जो वह उचित समझे, इन नियमों की अपेक्षाओं में ढील दे सकती है।

प्रदर्शन।

17. पेंशन वितरण प्राधिकारियों/खजाना अधिकारियों/सहायक खजाना अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इन नियमों को पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लाभ के लिये अपने सूचना पटट् पर तत्काल प्रदर्शित करें।

अनुबंध–I

[देखिए नियम 12 (1)]

वचनबद्धता

मैं, इसके द्वारा, वचन देता हूँ कि कोई अधिक भुगतान, जो पेंशन/पारिवारिक पेंशन के गलत नियतन के परिणामस्वरूप किया गया पाया जा सकता है या बाद में ध्यान में आई भिन्नताओं के दृष्टिगत पता लगाया गया/कोई अधिक भुगतान, मेरे द्वारा सरकार को या तो मुझको देय आगामी भुगतानों के समायोजन द्वारा या बकायों से वापस किया जाएगा।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पता .....

अनुबंध–II

[देखिए नियम 12 (2)]

वचनबद्धता

मैं, इसके द्वारा, वचन देता हूँ कि किसी विधि न्यायालय के किसी अंतरिम आदेश के आधार पर मुझे दी गई पेंशन में किसी परिशोधन या समायोजन के परिणाम के रूप में कोई अधिक राशि जो विधि न्यायालय के अंतिम निर्णय पर सरकार द्वारा लिए गए संबंधित उचित निर्णय के परिणाम के रूप में किया गया पाया जाएगा, तो वह मेरे द्वारा सरकार को या तो मुझको देय आगामी भुगतानों के समायोजन द्वारा या अन्यथा से वापस किया जाएगा। मैं, आगे ऐसे विधि न्यायालय के यथास्थिति अंतिम निर्णय पर लिये गये सरकार के ऐसे संबंधित उचित निर्णय का पालन करने का वचन देता हूँ।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पता .....

पी० राघवेन्द्र राव,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

FINANCE DEPARTMENT

Notification

The 3rd March, 2017

No. 2/23/2016-1 Pension.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely :—

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Haryana Civil Services (Revised Pension) Part-I Rules, 2017.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2016, unless otherwise provided by the Government for any class or category of pensioners.

Applicability of these rules.

2. These rules shall apply to all pensioners/family pensioners who were drawing their pension/family pension prior to the 1st January, 2016 or who were eligible/entitled to pension/ family pension on the 1st January, 2016 under the provisions of the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016 and as applicable to the pensioners/family pensioners and whose pension/family pension is debitable to the Consolidated Fund of the State of Haryana.

Non-applicability of these rules.

3. These rules shall not apply to—

(i) any category of persons whose pension/family pension etc. is not governed by the provisions of the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016;

(ii) retired officers of Judicial Services.

Definitions.

4. In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "existing pensioner or existing family pensioner" means a pensioner/family pensioner who was drawing pension/family pension prior to the 1st January, 2016 or Government servant who becomes entitled to pension/family pension on the 1st January, 2016, consequent upon his retirement/death;

(b) "existing pension" means the basic pension (inclusive of commuted portion, if any,) as on the 31st December, 2015:

Provided that in respect of a person retiring on the 31st December, 2015, and becoming entitled to receive pension with effect from the 1st January, 2016, his pension shall be fixed under the provisions of the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016 and thereafter revised as per provisions contained in these rules;

(c) "existing family pension" means the basic family pension to be drawn as on the 31st December, 2015, under the Haryana Civil Services (Revised Pension) Part-I or Part- II Rules 2009, as the case may be:

Provided that family pensioners who become entitled to family pension with effect from the 1st January, 2016, his family pension shall be revised as per provisions contained in these rules,"

(d) "Government" means the Government of the State of Haryana in the Finance Department, save as otherwise provided by or under these rules.

Consolidation of Pension/Family Pension.

5. (1) For existing pensioners, who have retired before the 1st January, 2016, the revised pension/family pension with effect from the 1st January, 2016, shall be determined by multiplying the existing basic pension/family pension by 2.57. The amount of revised pension/family pension so arrived at shall be rounded off to next higher rupee.

Illustration:1

Pensioner 'X' retired at last pay drawn of ₹79,000 on the 31st March, 2015 under the 6th CPC regime in the scale of ` 67000-79000:-

		Amount in ₹
1.	Basic Pension fixed in 6th CPC	39,500
2.	Revised Pension fixed under 7th CPC (using a multiple of 2.57). (39,500x2.57=1,01,515)	1,01,515

Illustration: 2

Pensioner 'Y' retired at last pay drawn of ₹4,000 on 31st March, 1989 under the 4th CPC regime in the pay scale of `3000-100-3500-125-4500:-

		Amount in ₹
1.	Basic Pension fixed in 4th CPC	1940
2.	Basic Pension as revised in 6th CPC	12,600
3	Revised Pension fixed under 7th CPC (using a multiple of 2.57) (12,600x2.57=32,382)	32,382

(2) For this purpose, the existing pension/family pension shall be the basic pension/ family pension only without the element of additional pension available to the old pensioners/family pensioners attaining the age of 80 years and above. The additional pension/family pension payable to the old pensioners/family pensioners will be worked out in accordance with rule 8 of these rules.

(3) The minimum pension/family pension w.e.f the 1st January, 2016 shall be ₹9,000/- p.m. (excluding the additional pension/family pension to the old pensioners). The maximum pension shall be ₹1,12,050 i.e. 50% and family pension ₹67,230/- i.e. 30% of the highest pay i.e. ₹2,24,100/- in the Government of Haryana.

Pro-rata of Pension/Family Pension.

6. The entitlement to revised pension under these rules shall be worked out in terms of rule 5 of these rules and shall further be reduced pro-rata as prescribed in the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016 in all cases where the pensioner had less than the minimum service required for full pension, and in no case it shall be less than `9000/- per month. The requirement of minimum service shall be considered under the provisions of rules applicable at the time of retirement/death of the employee.

Deduction of commuted portion of pension .

7. As the entitlement of consolidated pension shall be inclusive of commuted portion of pension, the commuted portion, wherever applicable, shall be deducted from the pension while making monthly disbursements.

Additional Pension/Family Pension.

8. (1) The quantum of additional pension/family pension available to the old pensioners/family pensioners shall continue to be as specified in the table given below :-

Table

Serial Number	Age of pensioner/family pensioner	Additional quantum of pension/family pension
1	2	3
1.	From 80 years to less than 85 years	20% of revised basic pension/family pension
2.	From 85 years to less than 90 years	30% of revised basic pension/family pension
3.	From 90 years to less than 95 years	40% of revised basic pension/family pension
4.	From 95 years to less than 100 years	50% of revised basic pension/family pension
5.	From 100 years or more	100% of revised basic pension/family pension

(2) The Pension Disbursement Authorities shall ensure that the date of birth and the age of the pensioners/family pensioners is invariably indicated in PEN-I (issued by Principal Accountant General (Accounts and Entitlement), Haryana) and the pension payment order to facilitate payment of additional pension/family pension by them as soon as it becomes due. If the requisite information is not available in the PEN-I {issued by Principal Accountant General (Accounts and Entitlement), Haryana} in those cases the requisite information may be obtained from Principal Accountant General (Accounts and Entitlement), Haryana before adding the additional pension/family pension in the existing basic pension/family pension. The amount of additional pension/family pension shall be shown distinctly in the pension/family pension payment order.

Illustration:-

In case where a pensioner/family pensioner is more than 80 years of age and his consolidated pension/family pension in terms of rule 5 above is ₹10,000/- pm, the pension/family pension will be shown as (i) basic pension/family pension= ₹10,000/- and (ii) additional pension/family pension= ₹2,000/- per month. The pension/family pension on his attaining the age of 85 years will be shown as (i) basic Pension/family pension= ₹10,000/- and additional pension/family pension= ₹3,000/- per month.

(3) The additional quantum of pension/family pension on attaining the age of 80 years and above shall be admissible from the first day of the month in which his date of birth falls.

Illustration:-

If a pensioner/family pensioner completes age of 80 years on any date in the month of July 2016, he shall become entitled to additional pension/family pension with effect from the 1st July, 2016. Those pensioners/family pensioners whose date of birth is 5th July shall also become entitled to additional pension/family pension with effect from the 1st July, 2016 on attaining the age of 80 years and above.

(4) Dearness relief shall also be admissible on the additional quantum of pension/family pension available to the old pensioners and family pensioners in accordance with the orders issued by the Government from time to time.

Entitlement of dearness relief.

9. The consolidated pension/family pension as worked out in accordance with the provision of rule 5 above shall be treated as "Basic Pension" or "Basic Family Pension", as the case may be, with effect from the 1st January, 2016. The revised pension/family pension arrived includes dearness relief sanctioned from the 1st January, 2016, and shall qualify for grant of dearness relief sanctioned thereafter by the competent authority from time to time.

Authorization to the Pension Disbursing Authorities.

10. (1) All Pension Disbursing Authorities handling disbursement of pension to the Haryana Government pensioners/family pensioners are hereby authorized to pay pension/family pension to the existing pensioners/family pensioners at the consolidated rates in terms of above rules without any further authorization from the Principal Accountant General (Accounts and Entitlement), Haryana /Head of Office etc. However, before disbursement of the pension, the Pension Disbursing Authority shall authenticate that the fixation made is strictly in accordance with the provision of these rules.

(2) Where a pensioner is in receipt of more than one pension, consolidation may be done separately in terms of these rules.

(3) Wherever the age of pensioners/family pensioners is available on the Pension Payment Order, the additional pension/family pension in terms of rule 8 above may also be paid by the Pension Disbursing Authorities immediately without any further authorization from the Principal Accountant General (Accounts and Entitlement) Haryana / Head of Office etc.

(4) A suitable entry regarding the revised consolidated pension shall be recorded by the Pension Disbursing Authorities in both halves of the Pension Payment Order.

(5) An intimation regarding disbursement of revised pension may be sent by the Pension Disbursing Authority to the Principal Accountant General (Accounts and Entitlement), Haryana and concerned Treasury Officer/Assistant Treasury Officer.

Payment of arrears of pension/family pension.

11. It is desirable that the benefit of these rules shall reach the pensioners/family pensioners as expeditiously as possible to achieve this objective. It is desired that all the Pension Disbursing Authorities shall calculate the arrears of revised pension/family pension payable and make necessary payment to the pensioners/family pensioners or credited in their bank account preferably within 3 months from the date of notification of these rule.

Undertaking for recovery of over payment of pension/family pension.

12. (1) It is not unlikely that the arrears due in some cases may be calculated incorrectly leading to over payment that might have to be recovered subsequently. The Pension Disbursing Authorities shall, therefore, make it clear to the pensioners/family pensioners while drawing arrears that the payments are being made subject to adjustments from amounts that may be due to them if any discrepancy is noticed later. For this purpose an undertaking shall also be obtained in writing from every pensioner/family pensioner at the time of revision of pension/family pension to the effect that excess payment that may be found to have been made as a result of incorrect consolidation of pension/family pension the said amount will be refunded by him to the Government either by adjustment against future payment or otherwise. A specimen form of undertaking is enclosed as Annexure -I.

(2) The fixation of pension/family pension and adjustment of arrears shall also be subject to rectification and adjustments in certain cases where a particular pension or provisional pension had been granted to a pensioner/family pensioner at the strength of some interim orders of the court of law, after the final disposal of the case suitable appropriate decision may be taken by the Government keeping in view the observation /instructions of the Court of law. The Pension Disbursing Authority shall, therefore, also make it clear to all such pensioners/family pensioners while disbursing the arrears of pension/family pension that payments are being made subject to appropriate decision taken by the Government on such final decision of the Court of law. A specimen form of undertaking is enclosed as Annexure-II.

Overriding effect.

13. The provisions of Haryana Civil Services Rules or Punjab Financial Rules or any other rules or instructions made or issued in this regard shall not save as otherwise provided in these rules or any other subsequent instructions issued in continuation to these rules, apply to cases where pension/family pension is regulated under these rules to the extent they are inconsistent with the provisions of these rules.

Interpretation.

14. If any question arises relating to the interpretation of any of the provisions of these rules, it shall be referred to the Government for decision.

Residuary provisions.

15. In the event of any general or special circumstances which are not covered under these rules or about which certain inconsistency are noticed, the matter shall be referred to the Government and the Government shall prescribe the conditions to be followed under such circumstances. Such conditions as prescribed by the Government under this rule shall be deemed to be part of these rules. Further, if the Government is satisfied that there is a requirement to prescribe certain additional conditions, the Government may prescribe such conditions and such additional conditions as prescribed by the Government shall be deemed to be the part of these rules.

Power to relax.

16. Where the Government is satisfied that the operation of all or any of the provisions of these rules causes undue hardship in any particular case, it may, by order, dispense with or relax the requirements of these rules to such extent and subject to such conditions, as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Display.

17. The Pension Disbursing Authorities/Treasury Officers/Assistant Treasury Officers are directed to promptly display these rules on their notice board for the benefit of pensioners/family pensioners.

ANNEXURE I

[See rule 12 (1)]

UNDERTAKING

I hereby undertake that in case excess payment is found to have been made as a result of incorrect fixation of pension/family pension or any excess payment detected in the light of discrepancies noticed subsequently shall be refunded by me to the Government either by adjustment against future payments due to me or otherwise.

Signature ——————————

Date: Name ——————————

Place: Address ——————————

ANNEXURE II

[See rule 12 (2)]

UNDERTAKING

I hereby undertake that as a result of any rectification or adjustment in the pension granted to me on the basis of any interim order by any Court of law, any excess amount which is found to have been made as a result of relevant appropriate decision taken by the Government on the final decision of the Court of law, shall be refunded by me to the Government either by adjustment against future payments due to me or otherwise. I further undertake to abide by such relevant appropriate decision of the Government taken on the final decision of such Court of law as the case may be.

Signature————————————

Date: Name————————————

Place: Address————————————

P. RAGHAVENDRA RAO,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Finance Department.

55097—C.S.—H.G.P., Chd.